"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 941] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2025 — अग्रहायण 13, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2025

शुद्धिपत्र

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)

अधिनियम, 2025

(क्र. 21 सन् 2025)

क्रमांक–6953/डी. 170/21–अ/प्रारू./छ.ग./25.— छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्र. 793, दिनांक 8–10–2025 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्र. 21 सन् 2025) के पृष्ठ क्र. 1586 में, अनुसूची के स. क्र. 20 के कॉलम (2) की प्रविष्टि ''कृष्णा विकास यूनिवर्सिटी रायपुर'' को ''कृष्णा विकास ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायपुर'' पढ़ा जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.